दैनिक कंचन केसरी

राज्यपाल बागडे ने पाकिस्तान से सटी बीएसएफ की सांचू पोस्ट का निरीक्षण किया

सैनिकों से संवाद कर राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना की

आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए किया आह्वान

बीकानेर/जयपुर. कंचन केसरी

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे बुधवार को हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान से सटी राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचू पोस्ट पहुंचे। उन्होंने सीमा क्षेत्र का गहन निरीक्षण करते हुए बॉर्डर एरिया की चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। बीकानेर जिले के इस सीमा क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से संवाद करते हुए विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी निरंतर मुस्तैद रहकर देश की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण की विशेष रूप से सराहना की। राज्यपाल बागडे को सांचू बॉर्डर पहुंचने पर भारत-पाक के मध्य 1965 और 1971 के दौरान यहां हुई लड़ाईयों के बारे जानकारी दी गयी। राज्यपाल ने भारतीय सेना के युद्ध के इतिहास और सैनिकों के पराक्रम की दृष्टि से साचूं को महत्वपूर्ण बताते हुए भारतीय सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को नमन किया। उन्होने बाद में वहां निर्मित वार म्यूजियम भी देखा। राज्यपाल बागडे ने सीमा क्षेत्र पर बीएसएफ के जवानों से संवाद करते हुए कहा कि सैनिक शब्द ही मन में जोश जगाने वाला है। उन्होंने कहा कि सैनिक हमारे देश के सुरक्षा प्रहरी ही नहीं हैं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता व एकता के भी प्रतीक हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से बॉर्डर एरिया से संबंधित मुद्दों पर भी अलग से चर्चा की। उन्होंने सीमा पार से अवैध सामानों की तस्करी, नशीले पदार्थों के उपयोग आदि के बारे में भी जानकारी ली और इन्हें रोकने के लिए भी निरंतर प्रभावी प्रयास किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल बागडे ने सीमा चौकी पर ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत पौधारोपण भी किया।

आंतरिक सुरक्षा बैठक

बाद में उन्होंने वही बॉर्डर पर आंतरिक सुरक्षा समन्वय बैठक भी ली। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश की सीमाओं पर चौकसी जितनी जरूरी है, उतना ही आवश्यक यह है कि हमारे यहां आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी रहे। उन्होंने सीमाओं पर चौकसी करते हुए रक्षा करने के साथ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत तंत्र विकसित करने के निरंतर प्रयास किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पर रहने वाले परिवारों से बातचीत कर उनके सहयोग के प्रयास भी किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने सीमा पर रहने वाले परिवारों की सराहना की तथा कहा कि सीमाओं पर देश की सुरक्षा की दृष्टि से उनकी भी महती भूमिका है। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में विकास के लिए परस्पर सहयोग बनाए रखने, सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकारियों की संयुक्त स्तर पर नियमित बैठकें किए जाने और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर निरंतर संवाद रखने की आवश्यकता जताई ताकि भविष्य की किसी भी अप्रिय स्थितियों से निपटा जा सके। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए भी प्रभावी रणनीति बनाकर कार्य किए जाने पर जोर दिया।

गुरूकुल लॉ एकेडमी का शुभारंभ

सीकर. कासं। शहर में बुधवार को गुरूकुल लॉ एकेडमी का शुभारंभ हुआ। शेखावाटी क्षेत्र के विद्यार्थियों को लॉ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना होगा। कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड जिलाध्यक्ष एडवोकेट इकबाल हुसैन, एडवोकेट योगेश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती हेमलता पत्नी श्री दयाल दास, निवासी (ग्राम अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर) केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्लॉट नंबर 14, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को गिरवी रखने के लिए बातचीत कर रही हैं। इस संपत्ति को श्रीमती तीजा देवी पत्नी कानाराम यादव द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से खरीदा गया है, वर्तमान में पावर ऑफ अटॉर्नी खो गई है और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से श्रीमती तीजा देवी पत्नी कानाराम यादव ने संपत्ति श्री मूलचंद पुत्र श्री गोगल यादव को बेच दी है। श्री मूलचंद पुत्र श्री गोगल यादव का दावा है कि वे उक्त संपत्ति के वर्तमान मालिक हैं। अब श्री गोरधन शर्मा द्वारा श्रीमती तीजा देवी पत्नी कानाराम यादव के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी खो गई है।

किसी व्यक्ति के पास उक्त संपत्ति में बिक्री, विरासत, कब्ज़ा, उत्तराधिकार, बंधक, ग्रहणाधिकार, पट्टा, उपहार या अन्यथा किसी भी तरह से कोई अधिकार, शीर्षक, दावा या हित है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को लिखित रुप में आपत्ति को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिनों के भीतर सूचित करें। अन्यथा किसी के द्वारा किए गए ऐसे किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे छोड दिया गया और/त्याग दिया गया माना जाएगा। और, मेरा मुवक्किल बातचीत को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा और उसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

करिश्मा अग्रवाल, एडवोकेट
जी–187, चौथी मंजिल, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश

एक नजर

प्राणघातक हमले के आरोपी गिरफ्तार

अजमेर. कासं। सिविल लाइन पुलिस ने प्राणघातक हमले के आरोपी तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में भूणाबाय निवासी शारदा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ युवक जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं जिन्होंने उस पर प्राणघातक हमला करके घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने गगवाना निवासी नासिर खान, कादर खान व समशू खान को गिरफ्तार किया है। इस जमीन पर शारदा देवी का परिवार रहता है जबकि आरोपी गणों का कहना है कि यह जमीन उनकी खरीद शुदा है। पुलिस के अनुसार दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमे दर्ज हुए है जिस पर जांच की जा रही है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले- परिवारवाद होता तो मैं अध्यक्ष नहीं बनता

उदयपुर. कासं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा- भाजपा में परिवारवाद नहीं है, होता तो मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाता। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि राजस्थान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। लेकिन, संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी। उन्होंने राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की कार पर स्याही फेंकने के मामले में कहा- युवाओं ने पायलट के समर्थन में नारे लगाए। हीन भावना दिखाई। लोकतंत्र में बात रखने का हक है लेकिन कोई घटिया प्रदर्शन करे यह निंदनीय है। हम चाहते तो जवाब दे सकते थे लेकिन हमारे प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने उनको माफ कर दिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आज उदयपुर से सलूंबर के लवकुश गार्डन में भाजपा की सदस्यता अभियान की बैठक में शामिल होने आए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा- कांग्रेस भाजपा के खिलाफ भ्रम फैला रही है। राहुल गांधी कहते हैं- हिन्दू-हिंसा, अरे हिन्दू तो रात को पेड़ भी नहीं हिलाते। हिंसा कैसे कर सकते हैं। आज आप खुद देखिए हम चींटी को दाना डालते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं। कांग्रेस नेताओं को व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। समाज में हिंसा फैलाने की बात करने वाली कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सत्ता प्राप्त करने के लिए समाज को तोड़ने वाला काम ठीक नहीं है। जो स्थिति पड़ौसी देश में हुई है उससे सावधान रहने की जरूरत है।

जिला कलक्टर ने यूआईटी, नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ ली बैठक

30 सितंबर तक शहर की सड़कें दुरुस्त करने के दिए निर्देश

भीलवाड़ा. कंचन केसरी

बरसात से खराब हुई सड़कों को ठीक करने का कार्य शहर में 30 सितंबर से पूर्व कर लिया जाएगा। जिला कलक्टर नमित मेहता ने बुधवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद और यूआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की ऐसी सड़कें जो बरसात से खराब हो गई हैं एवं उनसे आमजन को काफी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं एवं आवागमन बाधित हो रहा हैं, उनका 02 दिवस में चिन्हीकरण का कार्य पूर्ण किया जाए, साथ ही सड़को की मरम्मत के कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाकर मरम्मत कार्य माह सितम्बर के अन्त तक पूर्ण करवाया जाए। यूआईटी सचिव ललित गोयल ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि यूआईटी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार की मरम्मत योग्य सड़को के चिन्हीकरण कर लिया हैं। साथ ही इनकी मरम्मत के लिए टेण्ड़र प्रक्रिया पूर्ण कर कायार्देश भी जारी कर दिया गया है। बरसात रूकते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। नगर परिषद कमिश्नर हेमाराम चौधरी ने बताया कि उनके अधीन क्षतिग्रस्त सड़को का चिन्हीकरण कर लिया गया हैं। टेंडर की प्रक्रिया आगामी 07 दिवस में पूर्ण कर बारिश के बाद मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अधिशाषी अभियंता नरेंद्र चौधरी ने अवगत कराया कि पीडब्ल्यूडी की डीएलपी सड़को का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं। बारिश का दौर थमते ही मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

काम शुरू करने और पूरा करने के बाद की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करनी होगी: ठेकेदारों को काम शुरू करने से पहले और काम पूरा होने के बाद सड़क की डिजिटल फोटो और वीडियोग्राफी करवानी होगी। ठेकेदार द्वारा पैचिंग से पहले पैच की मार्किंग और नंबरिंग करवाना अनिवार्य है। गारंटी अवधि की सड़कों की मरम्मत उसी गुणवत्ता और सामग्री से की जानी है, जो निर्माण के दौरान उपयोग में लायी गई है। इस दौरान बैठक में यूआईटी सचिव ललित गोयल, नगर परिषद कमिश्नर हेमाराम चौधरी, एसई यूआईटी योगेश माथुर, पीडब्ल्यूडी अधिशाषी अभियंता नरेंद्र चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

RAJASTHAN RENEWABLE ENERGY CORPORATION LIMITED
(A Government of Rajasthan Undertaking)
CIN No.U40102RJ2011SGC036861
E-166, Yudhisthir Marg, C-Scheme, Jaipur Tel:2225859 / 2229341 / 2223966 & 223965
Email: rrec2016@gmail.com; Website : www.energy.rajasthan.gov.in\rrecl

RREC/Online/2023/SP/Bhadla &Nokh/New tender Manpower/07-00409/TN-03/2024-25

NOTICE INVITING BIDS

NIB: Code REC2425A0012/ UBN: REC24255L0B00012

Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited Requires services from eligible Service Provider firms for Computer Operator, Computer Literate Clerks, and Class-IV through Placement Agency for Office work. Tender are to be submitted online in electronic format on website https://eproc.rajasthan.gov.in. Tender details can be seen on website https://sppp.rajasthan.gov.in and RRECL official website https://energy.rajasthan.gov.in/rrecl. The tender document may be downloaded from 28.08.2024, 3:00 P.M.

Raj.Samwad/C/24/4318
Director (Technical)

जवाहर कला केन्द्र
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
खुली निविदा सूचना संख्या– JKK/2024–25/4183
JKK GSTIN - 08AAAJJ0462D1ZM

		NIB JKK2425A0015 UBN: JKK2425WSOB00014
1	कार्य का नाम	केन्द्र में स्थापित स्टेज लाईटस् एवं उपकरणों से संबंधित काम्प्रेहेंसिव रखरखाव कार्य। (मय समस्त सामग्री सहित यथा वायरिंग, कन्सोल, डी.एम.एक्स लाईन, डिमर्स, लैन्स, सोकेट मय एम.सी.बी. आदि। बल्ब का अतिरिक्त देय होगा।
2	अनुबंध अवधि	1 वर्ष
3	निविदा प्रपत्र शुल्क (अति. महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र के नाम डी.डी.)	200/-
4	बिड सिक्युरिटी राशि (अति. महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र के नाम डी.डी.)	8,000/-
5	निविदा प्रपत्र बेचने की तिथि	दिनांक 23.08.24 से 30.08.24 तक दोपहर 1:00 बजे तक
6	तकनीकी निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	दिनांक 30.08.24 को दोपहर 2:00 बजे तक
7	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 30.08.24 को दोपहर 3:00 बजे तक
8	दर निविदा खोलने की तिथि	बाद में सूचित किया जायेगा
9	निविदा की अनुमानित लागत	4.00 लाख

राज.संवाद/सी/24/4267

सूने मकान से लाखों के जेवर चुराए

अजमेर. कासं। क्रिश्चनगंज थाना इलाके के चौधरी कालोनी निवासी श्याम सुन्दर शर्मा के मकान से अज्ञात चोर गत रात करीब तीन लाख के गहने व 50 हजार की नकदी चुरा कर चंपत हो गए। पुलिस के अनुसार घटना के समय शर्मा परिवार सहित दो दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। इस बीच चोरों ने मकान के गेट पर लगे दोनों ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब तीन लाख के जेवर सहित पचास हजार रुपए चुरा कर चंपत हो गए। चोरी गए सामान में सोने की चैन, मंगलसूत्र, चांदी की तीन पायजेब, चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान था। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी।

बाइक चोर गिरफ्तार: पुलिस ने पिछले दिनों चौरसियावास रोड से बाइक चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस संबंध में झूलेलाल चौक निवासी चंद्रप्रकाश पुत्र भवानी शंकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि उसके घर के बाहर से अज्ञात चोर उनकी बाइक चुरा कर ले गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर नीरज उर्फ छोटू निवासी अलवर गेट को गिरफ्तार किया है।

जुलूस में विधायक की ओर से व्यवधान पैदा करने का आरोप, दिया ज्ञापन

अजमेर. कासं। शहर के मुस्लिम समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर जयपुर में विधायक द्वारा चेहल्लुम के जुलूस के दौरान व्यवधान डालने एवं माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने मीडिया को बताया कि जयपुर में 26 अगस्त को चेहल्लुम का जुलूस निकाला जा रहा था। इस जुलूस के लिए प्रशासन से मंजूरी ली गई थी। इसके अलावा यह जुलूस हर साल निकाला जाता है। जुलूस के दौरान हवा महल क्षेत्र के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने व्यवधान डाला और जुलूस में शामिल लोगों से बदतमीजी की। इसके अतिरिक्त उनसे गाली गलौज भी की गई। इस तरह माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। यह जुलूस मोहर्रम के चहुल्लम पर कर्बला के मैदान में शहीद हुए मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हसन की याद में गमगीन माहौल में निकाला जाता है। विधायक की ओर से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था लेकिन कुछ बुजुर्गों ने समझदारी से काम लेते हुए माहौल खराब नहीं होने दिया गया। ज्ञापन में विधायक बालमुकन्दाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने एवं उन्हें पाबंद करने की मांग की गई है।

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के अधीन। **आईआईएफएल होम फाइनैंस लि.(आईआईएफएल एचएफएल)/(पूर्वत: इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी** ने उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) से उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशियां चुकाने की मांग की गई थी। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा, उक्त कर्जदार(रों) को, एक बार पुन:, यहां नीचे दी गई राशियों का भुगतान, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे ब्याज सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने हेतु सूचना दी जाती है। कर्जदार(रों), मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि तथा ऋण की वापसी के लिए अर्पित प्रतिभूति का विवरण निम्नानुसार है:

कर्जदार (रों)/ गारंटर (रों) का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)
श्री उगमराज, श्री देवेन्द्र शर्मा, श्रीमती मीनाक्षी **(प्रोस्पेक्ट नंबर 967391& IL10461774)**	27/08/2024 & रुपए 421591/- (रुपए चार लाख इक्कीस हजार पांच सौ इक्यानवे मात्र) **967391 के लिए रुपए** 292319/- (रुपए दो लाख बानवे हजार तीन सौ उन्नीस मात्र) **IL10461774 के लिए**	**संपत्ति के समस्त अंश व खंड:** खसरा नंबर 8578 का भाग, एएमसी नंबर 1069/13, गली नंबर 19, कपिल नगर, माइक्रो वेव टॉवर के पास, सुभाष नगर, अजमेर, राजस्थान, भारत, 305001, परिमाप क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति प्रकार: भूमि क्षेत्र, सुपर बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया, संपत्ति क्षेत्र: 978.75, 770.00, 680.00

यदि उक्त कर्जदार आईआईएफएल एचएफएल को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहेंगे, आईआईएफएल एचएफएल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी से **शाखा कार्यालय** पर संपर्क करें: एमबिशन टॉवर, प्लॉट नंबर डी–46–बी, ऑफिस नंबर 307 से 312, मालन का चौराहा, अग्रसेन सर्किल, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001/अथवा **कार्पोरेट कार्यालय: आईआईएफएल टॉवर**, प्लॉट नंबर 98, फेज–IV, उद्योग विहार, गुरूग्राम, हरियाणा।

स्थान: जयपुर तिथि: 29-08-2024 हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी वास्ते आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड

देवनानी का पूज्य सिंधी केंद्रीय पंचायत प्रतिनिधियों ने किया अभिनंदन

देवनानी पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के बने मुख्य संरक्षक, राष्ट्र सेवा हमारा प्रमुख ध्येय: देवनानी

जयपुर. कंचन केसरी

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सिंधी समाज एक पुरूषार्थी कौम है, जो विभाजन विभीषिका में सब कुछ खोकर फिर से उठ खड़ा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के मुख्य संरक्षक बनाए जाने पर यहां सिविल लाइन स्थित उनके राजकीय निवास पर पंचायत प्रतिनिधियों ने उनका अभिनंदन किया। इससे पहले देवनानी से पूज्य सिंधी केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने मुख्य संरक्षक के लिए अनुरोध किया। देवनानी की सहर्ष सहमति मिलने के बाद प्रतिनिधिगण ने उनका साफा पहनाकर और शाल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। देवनानी ने कहा कि सिंधी खाली हाथ भारत आए लेकिन समाज ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। समाज पुरूषार्थी बना और मेहनत से काम किया। सिंधी समाज ने अथक प्रयासों से देश की तरक्की में सहयोग किया। सिंधी समाज ने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। विपरीत हालातों में भी सिंधी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर पुरूषार्थी बने रहे। आज देश में सिंधी जहां भी है वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में भारत की तरक्की में हाथ बंटा रहे हैं। उन्होंने सिंधी समाज से आग्रह किया कि अपने विपुल और समृद्ध इतिहास को सदैव याद रखें और अगली पीढ़ी को बताएं तभी हमारा इतिहास जिंदा रहेगा।

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए) नियम 8–(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, **आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ('नियमावली') के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदार/रों से सूचना में वर्णित बकाया राशियों का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

एलएएन संख्या	कर्जदार (रों)	राशि	मांग सूचना तिथि	13(4) नियम 8 तिथि	भौतिक कब्जे की तिथि	सम्पत्ति पता
LNBLW 00620-210001 864	श्री ओम प्रकाश बैरवा, श्रीमती प्रेम देवी बैरवा व श्री सत्य नारायण	रुपए 2,52,932/– (रुपए दो लाख बावन हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) 31.08.2021 तक	07.10.2021	13.12.2021	23.08.2024	संपत्ति पट्टा संख्या 40, बही संख्या 253, संकल्प संख्या 04, मिसल संख्या 07, ग्राम मांडल, ग्राम पंचायत मांडल, पंचायत समिति मांडल, तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान–311403, क्षेत्र 794.20 वर्ग फीट।

कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार **आईएफएल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** की इसमें वर्णित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

तिथि: 29.08.2024
स्थान: राजस्थान
आईएफएल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

एनआईसीडीपी में जोधपुर-पाली शामिल

केंद्रीय मंत्री बोले, जोधपुर क्षेत्र के विकास को नए पंख मिलने जा रहे

जोधपुर. कासं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एनआईसीडीपी के तहत 28,602 करोड़ के निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें जोधपुर-पाली शामिल है। इस घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में (एनआईसीडीपी) जोधपुर-पाली को शामिल करने पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। शेखावत ने कहा कि जोधपुर-पाली के लिए यह खुशखबरी है और जोधपुर क्षेत्र के विकास को नए पंख मिलने जा रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एनआईसीडीपी के तहत 28,602 करोड़ के निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें जोधपुर-पाली शामिल है। प्रधानमंत्री जी का आभार जताते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मोदी जी की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अभूतपूर्व और परिणामदायी नीतियों में एनआईसीडीपी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 'इंडस्ट्रियल स्मॉर्ट सिटीज' निर्माण में राजस्थान से 'जोधपुर-पाली' को शामिल किया जाना क्षेत्र के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में शानदार सुधार लेकर आने वाला निर्णय साबित होगा। शेखावत ने कहा कि एनआईसीडीपी को बड़े एंकर उद्योगों और एमएसएमई, दोनों से निवेश की सुविधा प्रदान करके एक जीवंत औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। ये औद्योगिक नोड साल 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात प्राप्त करने के लिए कैटलिस्ट के रूप में कार्य करेंगे, जो सरकार के आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को दशार्ता है। उन्होंने बताया कि नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें 'प्लग-एन-प्ले' और 'वॉक-टू-वर्क' सिद्धांत पर 'मांग से पहले' बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं की मंजूरी 'विकसित भारत'- एक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई–400051
कार्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, अंधेरी – कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई–400059, भारत
शाखा कार्यालय: प्लॉट नंबर 1, प्रथम तल, सहयोग भवन, एयरोड्रम सर्किल, कोटा–324007
शाखा कार्यालय: द्वितीय तल, बी–ब्लॉक, शॉप नंबर 1, एस.के. प्लाजा, पुर रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान–311001
शाखा कार्यालय: प्लॉट नंबर 13, कल्याण कॉम्प्लेक्स, पन्नाधाय बस स्टैंड के सामने, घटियावाली रोड, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान–312001

नियम 8 (6) का परंतुक देखें, अचल आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो भी है'' तथा ''जो भी है वहां है'' आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी;

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/सह–कर्जदारों /गारंटरों /कानूनी वारिसों का नाम ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई	बकाया राशि	सुरक्षित मूल्य / धरोहर राशि जमा	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी तिथि से एक दिन पहले	सरफेसी स्टेज
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(H)	(I)	(J)
1	सौरभ समदानी (कर्जदार), विनीता माहेश्वरी (सह–कर्जदार) NHBNI00001264212	प्लॉट नंबर 2 पर दुकान, ब्लॉक डी, नवीन मंडी, परागन कुंवारती बूंदी–323001	रुपए 6,24,605.36/– 22–08–2024 तक	रुपए 3,954,375/– रुपए 395,438/–	23–09–2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	01–10–24 को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक	30 सितम्बर, '2024	भौतिक कब्जा
2	कालू लाल (कर्जदार), शांति देवी सुथार (सह–कर्जदार) LHBLW00001297971	प्लॉट नंबर बी–20 पर मकान, खसरा नंबर 1007/3, 1007/6, 1007/10, 1007/11, हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, भीलवाड़ा–311001	रुपए 11,51,077.22/– 22–08–2024 तक	रुपए 1,440,000/– रुपए 144,000/–	23–09–2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	01–10–24 को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक	30 सितम्बर, '2024	भौतिक कब्जा
3	मोहन लाल बैरवा (कर्जदार), पुष्पा देवी बैरवा (सह–कर्जदार) LHBLW00001473166 &LHBLW00001473168	मकान, पट्टा नंबर 17, ग्राम पंचायत आरनी, पंचायत समिति राशमी, ग्राम आरनी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान	रुपए 9,63,455.58/– 22–08–2024 तक	रुपए 1,132,029/– रुपए 113,203/–	23–09–2024 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	01–10–24 को अप. 2.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक	30 सितम्बर, '2024	भौतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड** की वेबसाइट (यूआरएल लिंक–eauctions.samil.in) पर सम्पन्न होगी। बंधकदाताओं/सूचनाप्रेषिती को **30–09–2024 के अप. 5.00 बजे** से पूर्व कुल बकाया उस पर आगे ब्याज सहित चुकाने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। संभावित बिडर (बिडर्स) को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कालम ई देखें) **आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड** के उपरिवर्णित शाखा कार्यालय के पते पर **30–09–2024 को अथवा पूर्व अप. 04.00 बजे** से पहले जमा करनी होगी। संभावित बिडर (बिडर्स) को पंजीकरण प्रपत्र एवं बोली के नियम एवं शर्तो की हस्ताक्षरित प्रति भी **आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड** के उपरिवर्णित शाखा कार्यालय के पते पर **30–09–2024 को अथवा पूर्व अप. 05.00 बजे** से पहले जमा करनी होगी। धरोहर राशि जमा हेतु डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से ''**आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड–नीलामी**'' के पक्ष में नरेला, विष्णु गार्डन में देय होना चाहिए। निरीक्षण, नीलामी के निबंधन और शर्तो या निविदा जमा करने के संबंध में किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कृपया **आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड से 9920807300** पर सम्पर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बिड्स को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया देखें: **https://www.icicihfc.com/**

प्राधिकृत अधिकारी,
तिथि: 29–08–2024 स्थान: राजस्थान आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड। सीआईएन: U65922MH1999PLC120106